HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7698/2026
CNR: RJHC010573272026
URN: CRLMB / 16922U / 2026

1. Bhera Ram S/o Harka Ram, Aged About 36 Years, Resident Of Sarno Ka Tala, Police Station Sindhari, District Balotra, Rajasthan (Presently Lodged In District Jail Barmer)
2. Vagta Ram S/o Rama Ram, Aged About 36 Years, Resident Of Sarno Ka Tala, Police Station Sindhari, District Balotra, Rajasthan. (Presently Lodged In District Jail Barmer)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ananad Purohit, Sr. adv. With Mr. Manish Tak
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

08/07/2026

01. प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से यह जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना सिणधरी, जिला बालोतरा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 157/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 308(2), 91, 108, 64(2)(एम) बी.एन.एस. के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में मृतक की पत्नी के अवैध संबंध प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के साथ होना पुलिस द्वारा तफ्तीश में माना है, जबरदस्ती बलात्कार करने के आरोप प्रार्थीगण–अभियुक्तगण पर छः महीने बाद लगाए हैं। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के मृतक की पत्नी से अधिक से अधिक सहमति से संबंध बनाने का मामला होना स्पष्ट है।

समाज से बहिष्कृत करने का मामला प्रमाणित नहीं माना गया है। प्रकरण में चालान पेश हो चुका है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही चार्जशीट में पैरावाइज वर्णित रिपोर्ट पर विचार किया गया। मृतक की पत्नी के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान का अवलोकन किया गया। प्रकरण में चालान पेश हो चुका है।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण **भैराराम पुत्र हरखाराम व वगताराम पुत्र रामाराम** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में प्रत्येक प्रार्थी–अभियुक्त एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

37/Mayank Rankawat/629